

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

.....आवेदक

वनाम

अंजनी कुमार पिता लक्ष्मीरायण गुर्जर बगै० कुल खाता १५ नफर सा०-रेही तहसील-चितरंगी जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

.....अनावेदकगण

प्रस्तावित अवार्ड

(दिनांक १४.०७.२०२०)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये, बी०जी. रेल लाइन बाबत, नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु उपखण्ड चितरंगी, जिला-सिंगरौली के ग्राम-रेही की निजी भूमि का रकबा ५.७२६ हे० का भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त निजी भूमियों के भू-अर्जन की वैधानिक कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रकरण विचारण के पूर्व आवेदक उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने अपने कार्यालयीन पत्र क्र० डिप्टी/डी.ओ./३२७/६१२/४ जबलपुर दिनांक ३१/०८/२०१७ के द्वारा कलेक्टर महोदय को जिला सिंगरौली अन्तर्गत अर्जन से प्रभावित ग्रामों की भूमियों के क्रय विक्रय/बटनवारा, पुल्ली फाट तथा डायवर्सन की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने बाबत लेख किया गया, कलेक्टर महोदय के कार्यालयीन पत्र क्रमांक


भू-अर्जन अधिकारी

चितरंगी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

354/भू-अर्जन/2017 दिनांक 15/09/2017 से अर्जन से प्रभावित ग्रामों की भूमियों के भूमिस्वामी स्वत्वों के अंतरण एवं नामांतरण पर रोक लगाई गई।

2/- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये, बी.0.जी. रेल लाइन बाबत, नई बड़ी रेल लाइन निर्माण से प्रभावित होने वाली निजी भूमियों के कृषको की निजी भूमियों के अर्जन हेतु प्रारम्भिक प्रस्ताव का परीक्षण तहसीलदार चितरंगी एवं उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर से संयुक्त रूप से कराया गया। तदुपरान्त उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के द्वारा अपने पत्र क्र० डिप्टी/डीओ/327/612/८ दिनांक 30/11/2017 के द्वारा अनुमानित मूल्यांकित राशि की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिस पर कलेक्टर महोदय सिंगरौली द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्र० 541/भू-अर्जन/2017 दिनांक 15/12/2017 के द्वारा ग्राम-रेही की अर्जित की जाने वाली निजी भूमियों की अनुमानित राशि 56910953/- रु० व 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि आवेदक को अग्रिम के रूप में कलेक्टर एवं जिला-भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया। जिसके पालन में उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक डिप्टी/डीओ/327/612/VI दिनांक 23/03/2018 के द्वारा भूमि के अर्जन हेतु परिगणित मूल्य रुपये 56910953/- एवं 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि 5691095.30/- रु० कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी जिला-सिंगरौली के पी.डी. खाता क्रमांक 18 में जमा किया गया।

3/- प्रकरण में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ग्राम-रेही तहसील-चितरंगी में ललितपुर-सिंगरौली रेलवे के निर्माण हेतु किता 22 रकवा 5.726 हे० भूमि की मांग की गई। रेलवे द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उक्त निजी भूमियों के अर्जन की वैधानिक कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रारम्भ की गई तथा अर्जन किये जाने हेतु आवेदित भूमियों का स्थल निरीक्षण करने एवं अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर भौतिक सत्यापन कर नक्शा एवं खसरे की सत्यापित प्रतियों के साथ प्रतिवेदन मगाया गया। तहसीलदार

भू-अर्जन अधिकारी

सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

चितरंगी द्वारा आवेदित भूमियों का स्थल निरीक्षण कर अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर भौतिक सत्यापन कर नक्शा एवं खसरा की प्रति उपलब्ध कराई गई।

4/- यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार चितरंगी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम-रेही में सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारणा की आवश्यकता न होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा 1 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रस्ताव पर कलेक्टर सिंगरौली एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के हस्ताक्षर उपरान्त प्रकाशन हेतु नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल को पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 504/भू-अर्जन/2017 दिनांक 16/11/2017 को भेजा गया, जिसका प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" के भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 6346 से 6347 पर दिनांक 15/12/2017 को किया गया। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11 (1)(ख) के तहत दो दैनिक समाचार पत्रों में कराया गया। अधिसूचना के प्रकाशन की प्रति तहसीलदार, तहसील-चितरंगी को इस निर्देश के साथ भेजी गई कि एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय चितरंगी, तहसील कार्यालय चितरंगी के सूचना पटल पर, एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा एक प्रति संबंधित ग्राम के सहज दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा कर एवं कलेक्टर सिंगरौली की वेबसाइट पर अधिसूचना शीघ्र अपलोड कर प्रकाशन कराया जाय तथा प्रकाशन उपरान्त विधिवत पंचनामा रिपोर्ट प्रेषित करें। तहसीलदार चितरंगी से विधिवत अधिसूचना के प्रकाशन की रिपोर्ट मय पंचनामों के साथ प्राप्त, जो प्रकरण के साथ संलग्न है। राजपत्र में जारी अधिसूचना की प्रति प्रकरण में संलग्न है। सूचना का प्रकाशन वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।

भू-अर्जन अधिकारी
चितरंगी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

5/- भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन शासकीय राजपत्र तथा दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन की सूचना उपरान्त अधिनियम की धारा-12 के तहत तहसीलदार तहसील-चितरंगी को भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने हेतु नियुक्त किया जाकर जॉच प्रतिवेदन मगाया गया। तहसीलदार चितरंगी द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम-रेही में धारा-12 के अधीन कराये गये सर्वेक्षण में कोई नुकसानी प्रस्तावित नहीं की गई। जो संलग्न प्रकरण है।

6/- भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन शासकीय राजपत्र तथा दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन की सूचना के अंतिम दिन से 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-15 के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने का प्रावधान है। तहसीलदार चितरंगी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रारम्भिक सर्वेक्षण की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त इस 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा-12 के तहत प्रारम्भिक सर्वेक्षण उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। धारा-11 की अधिसूचना प्रकाशन उपरान्त तथा धारा-12 के तहत भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराने पर धारा-15 के तहत कोई आपत्ति प्राप्त न होने से अधिनियम की धारा-16, 17 एवं धारा-18 की आवश्यकता न होने के कारण अधिनियम की धारा-19 के तहत घोषणा का प्रकाशन की कार्यवाही प्रचलन के पूर्व उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं मध्य प्रदेश शासन की ओर से कलेक्टर एवं जिला पुनर्वास अधिकारी जिला-सिंगरौली द्वारा रीवा सीधी -सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना के लिये सिंगरौली जिले के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निहित शर्तों के अधीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 4 की धारा 19 के तहत दिनांक 04/07/2018 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित किया गया।

भू-अर्जन अधिकारी
चितरंगी तहसील, सिंगरौली जिला

7/- अधिनियम की धारा-11 की अधिसूचना में प्रकाशित भूमियों के संबंध में पुनः तहसीलदार चितरंगी से जॉच कराने के उपरान्त ग्राम-रेही की आराजी किता 22 रकवा 5.726 हे0 की घोषणा प्रकाशन हेतु अधिनियम की धारा-19 के तहत प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर सिंगरौली एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया, प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर सिंगरौली एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 252/भू-अर्जन/2018 दिनांक 30/6/2018 के द्वारा घोषणा जारी की गई। जिसे राजपत्र में घोषणा प्रकाशन हेतु नियंत्रक केन्द्रीय मुद्रणालय मध्य प्रदेश भोपाल को सूची सहित भेजा गया। जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण भाग-1 में दिनांक 20 जुलाई 2019 को पृष्ठ क्रमांक 4718 से 4719 तक में किया गया तथा दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया। अधिसूचना के प्रकाशन की प्रति तहसीलदार, तहसील-चितरंगी को इस निर्देश के तहत भेजी गई कि एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला-सिंगरौली, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यालय चितरंगी तहसील कार्यालय चितरंगी के सूचना पटल पर एवं एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा एक प्रति संबंधित ग्राम के सहज दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा कर प्रकाशन कराया जाय तथा कलेक्टर की बेवसाईट पर अपलोड कराया जाकर प्रकाशन उपरान्त विधिवत पंचनामा रिपोर्ट प्रेषित करें।

8/- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की घोषणा के प्रकाशन के बाद उक्त अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली निजी भूमियों की परिसम्पत्तियों एवं भूमियों की चिन्हांकित और उसका माप कराया गया। अर्जित की जाने वाली निजी भूमियों पर स्थित मकानों का मूल्यांकन उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिंगरौली से कराया गया। भूमियों का मापन राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से कराया गया, जिसके आधार पर धारा-20 की कार्यवाही के पश्चात् कराये गये माप एवं सर्वे के आधार पर सभी प्रभावित कृषको को स्थल पंचनामा की प्रति उपलब्ध कराई गई। उक्त स्थल पंचनामों में प्रभावित भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण अंकित किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
चितरंगी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

9/- प्रकरण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-20 के पश्चात् धारा-21(1)(2)(3)(4)(5) एवं धारा 22(1)(2) के तहत प्रभावित कृषको एवं सहकृषको को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी की जाकर विधिवत तामीली उपरान्त तामीली प्रति प्रकरण में संलग्न की गई। सूचना पत्र की एक-एक प्रतियां ग्राम-रेही की चौपाल ग्राम पंचायत भवन तथा तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्था कराई गई। अधिनियम के अन्तर्गत कब्जेदारो तथा अन्य हित रखने वाले व्यक्तियों को भी सूचना पत्र का तामील कराया गया। दिनांक 25/10/2019 को पंचायत भवन रेही में कैम्प लगाकर सुनवाई करने की सूचना का प्रकाशन कराया गया। सुनवाई के दौरान एवं कार्यालय में कृषको द्वारा प्रस्तुत कुल 98 आपत्तियों को विभागवार पृथक किया जाकर आपत्तियों की जाँच संबंधित विभाग से कराई गई तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं मूल्यांकन पत्रक अनुसार एवार्ड के गणना पत्रक में संसोधित मूल्यांकित राशि सम्मिलित की गई। दिनांक 25/10/2019 को सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियों का जाँच प्रतिवेदन संबंधित विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त आपत्तियों का विधिवत निराकरण किया गया है जो कि एवार्ड के साथ पृथक से संलग्न है।

10/- आवेदक द्वारा ग्राम-रेही की आराजी किता 22 रकवा 5.726 हे0 के भू-अर्जन किये जाने बाबत् आवेदन किया गया, जिसका परीक्षण तहसीलदार चितरंगी से कराया गया। परीक्षणोपरान्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अधिनियम की धारा-11 की अधिसूचना, धारा-12 के तहत भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण, धारा-19 के तहत घोषणा, धारा-20 के तहत चिन्हांकन, सीमांकन, मापन एवं धारा-21 व 22 के तहत जारी व्यक्तिशः सूचना उपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही की गई। परन्तु अधिनियम की धारा-25 के तहत कलेक्टर धारा-19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 मास की अवधि के भीतर कलेक्टर को अधिनिर्णय पारित करने का अधिकार है। अगर 12 मास के अन्दर अधिनिर्णय पारित नहीं किया जाता तो कलेक्टर (समुचित सरकार) को 12 माह की अवधि बढ़ाने का अधिकार है। इस


भू-अर्जन अधिकारी
कृषक-विभागीय तहसील (स.प्र.)

प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 के तहत घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 20 जुलाई 2018 को किया गया था। ऐसी स्थिति में दिनांक 20 जुलाई 2019 को 12 मास की अवधि व्यतीत हो रही थी, जिस पर कलेक्टर (समुचित सरकार) द्वारा आदेश क्रमांक 278/भू-अर्जन/2019 दिनांक 12/07/2019 के द्वारा विधान सभा निर्वाचन एवं लोक सभा निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही समयावधि में पूर्ण न होने से 12 माह तक की अवधि बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-1 में दिनांक 26 जुलाई 2019 को पृष्ठ क्रमांक 6218 में किया गया है। प्रतिकर निर्धारण हेतु अधिसूचना प्रकाशन दिनांक से 3 वर्ष पूर्व के बिक्री छट के औसत एवं पंजीयन हेतु निर्धारित गाइड लाइन में जो राशि अधिक हो उसके आधार पर प्रतिकर राशि का निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। ग्राम-रेही की 3 वर्ष की औसत बिक्री पंजीयन हेतु निर्धारित गाइड लाइन की राशि से कम होने के कारण वर्ष 2017-18 हेतु पंजीयन हेतु गाइड लाइन के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप निम्नानुसार प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा है:-

11(1)/- भूमि के प्रतिकर का निर्धारण:- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-26 के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमियों के प्रतिकर निर्धारण संबंधी प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा-26 एवं 27 में प्रतिकर निर्धारण के सिद्धांत दिये गये हैं। तदनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य जो अधिनियम की धारा-11(1) की अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक पर प्रचलित था, उसके आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। धारा-11 की अधिसूचना के समय अर्जित की जा रही भूमि का जो बाजार मूल्य हो उस आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15/12/2017 को प्रकाशित की गई थी। प्रकाशन की तिथि को ग्राम-रेही की भूमियों के क्रय-विक्रय के पंजीकृत विक्रय विलेख अनुसार उप पंजीयक कार्यालय चितरंगी से लिये निर्धारित गाइड लाइन वर्ष 2017-18 के अनुसार सिंचित एवं असिंचित भूमि का औसत मूल्य क्रमशः 1367905/- प्रति हैक्टेयर सिंचित एवं 719950/- प्रति हैक्टेयर असिंचित निर्धारित किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 0.03 हे० यानी 300 वर्गमीटर तक की भूमियों का बाजार मूल्य वर्गमीटर के आधार पर किये जाने का प्रावधान किया गया है। ग्राम-रेही की 0.030 हे० तक की भूमियों का प्रतिकर

1100 रु० प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थित में ग्राम-रेही की अर्जित की जा रही आराजी किता 22 रकवा 5.726 हे० का अर्जन किया जा रहा है। जिसमें रकवा 2.107 हे० सिंचित मूल्यांकित राशि 2882176/- एवं रकवा 3.604 हे० असिंचित मूल्यांकित राशि 2594700/- तथा 0.015 हे० का वर्गमीटर मूल्यांकित राशि 165000/- के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया।

11(2)/- वृक्षों के प्रतिकर का निर्धारण:- ग्राम-रेही की अर्जित की जा रही भूमियों पर 09 गैरफलदार वृक्ष मूल्यांकित राशि 75092/- एवं 19 फलदार वृक्ष मूल्यांकित राशि 184234/- (कुल योग 28 वृक्ष राशि 259326/-) पाए गए जिनका मूल्यांकन वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग से कराया गया है।

11(3)/- कूप के प्रतिकर का निर्धारण:- ग्राम-रेही की अर्जित की जा रही भूमियों पर 02 नग कूप पाए गए जिनका प्रतिकर 31436/- मूल्यांकित किया गया है।

11(4)/- हैण्ड पम्प/बोर के प्रतिकर का निर्धारण:- ग्राम-रेही की अर्जित की जा रही भूमियों पर 02 नग हैण्ड पम्प/बोर पाए गए जिनका प्रतिकर 119497/- मूल्यांकित किया गया है।

11(5)/- मकान के प्रतिकर का निर्धारण:- ग्राम-रेही की अर्जित की जा रही भूमि पर कुल 29 मकान एवं अन्य निर्माण पाया गया। जिसका मूल्यांकन तकनीकी दल से कराया गया। उनके द्वारा प्राप्त मूल्यांकन अनुसार मूल्यांकित राशि 13711198/- रु० निर्धारित किया गया।

11(6)/- मेड़, गटौर एवं बांध के प्रतिकर का निर्धारण:- मेड़, गटौर एवं बांध के मूल्य का निर्धारण हेतु 0.00 मीटर के ऊपर 0.99 मीटर तक की ऊचाई तक का मूल्यांकन 41218/- रु० प्रति हैक्टेयर की दर पर तथा 01 मीटर के ऊपर की ऊचाई की मेड़ को बांध माना जाकर उसका मूल्यांकन 70.80 रुपये प्रति घन मीटर की दर से किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत ग्राम-रेही में अर्जित भूमि पर स्थित मेड़ गटौर, बांध का मूल्यांकन 272939/- रु० निर्धारित किया जाता है।

12/- ब्याज एवं सोलेशियम की राशि का निर्धारण:- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-30(1)(2)(3) के अनुसार जमीन के बाजार मूल्य के अतिरिक्त धारा-11 की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से एवाई दिनांक तक या जमीन का कब्जा लिये जाने की तिथि तक जो पूर्व की स्थिति हो उस

अवधि के लिये बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जावेगी। साथ ही धारा-11 के प्रकाशन की तिथि दिनांक 15/12/2017 से दिनांक 25.07.2020 तक कुल 953 दिन का 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि 6277666/- रु0 होती है। धारा-30(1) के अनुसार 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) की राशि 20036272/- रु0 होती है। इस प्रकार अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का कुल प्रतिकर 46350209/- रु0 (शब्दों में - चार करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार दो सौ नौ रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है। व्यक्तिवार प्रतिकर की राशि का विवरण एवार्ड के साथ संलग्न गणना पत्रक में अंकित किया गया है, जो एवार्ड का अभिन्न अंग होगा।

--:: एवार्ड निर्धारण पत्रक ::--

क्र0	भूमि एवं परिसम्पत्तियों का प्रकार	रकबा/तादात	एवार्ड की राशि
1	भूमि सिंचित	2.107	28,82,176
2	भूमि असिंचित	3.604	2594700
3	भूमि व्यपवर्तित	0	0
4	भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0
5	भूमि राजमार्ग	0	0
6	भूमि ग्रामीण मार्ग	0	0
7	भूमि द्विफसली	0	0
8	भूमि छोटा भू-खण्ड/वर्गमीटर	0.015	1,65,000
10	मेड़, गटौर एवं बांध		272939
11	गैर फलदार/फलदार वृक्ष	28	2,59,326
12	मकान (आवासीय/गैरआवासीय) एवं अन्य	29	13711198
13	कूप	2	31436
14	हेण्ड पम्प/बोर	2	119497
योग :-			20036272
953 दिन तक के 12 प्रतिशत ब्याज की राशि:-			6277666
100 प्रतिशत सोलेशियम राशि			20036272
महायोग			46350209

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय के रूप में राशि देय होगी। अतः इस प्रकरण में एवार्ड की राशि रुपये 46350209/- रु० (शब्दों में - चार करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार दो सौ नौ रुपये मात्र) पर 10 प्रतिशत के मान से 4635021/- (छियालिस लाख पैंतीस हजार इक्कीस रुपये मात्र) देय होगा।

शासन के आदेशानुसार आवेदक/कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि एवं प्रशासकीय व्यय की समस्त राशि जमा करने के उपरान्त ही एवार्ड पारित करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। आवेदक की ओर से सिंगरौली जिले के 22 ग्रामों में आने वाली भूमियों के अर्जन हेतु अनुमानित राशि 78.5 करोड़ रु० जमा किया गया है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है। जिसके कारण एवार्ड पारित करने की अधिकारिता कलेक्टर महोदय को है। ग्राम-रेही की कुल एवार्ड राशि 46350209/- रु० (शब्दों में - चार करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार दो सौ नौ रुपये मात्र) है जिसका अनुमोदन करने की अधिकारिता कलेक्टर महोदय को है। ऐसी स्थिति में प्रकरण एवार्ड के राशि अनुमोदन हेतु कलेक्टर महोदय की ओर सादर सम्प्रेषित है।

भू-अर्जन अधिकारी
भू-अर्जन अधिकारी
सीधी-सिंगरौली (निई रेल लाइन)
चितरंगी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
चितरंगी, जिला-सिंगरौली

कलेक्टर महोदय सिंगरौली

२२ २०/०१/२०२०
२२/०१/२०२०, एवार्ड अनुमोदन।

कलेक्टर
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)